

संचिका सं०- 8 अरा० उ० आरोप-11/2018 799

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, विभाग


आदेश

पटना, दिनांक:- 05.03.19

श्री नन्द किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद सह प्रभारी पदाधिकारी, एचपीसीएल लौरिया आसवनगृह के विरुद्ध इथनॉल में डिनेचर्ड की मात्रा मानक के अनुसार नहीं होने के बाद भी इथनॉल टैंकरो को पारगमन कराये जाने के मामले में गठित आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक 51 दिनांक 07.01.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समुचित विचारोपरांत इसे स्वीकार योग्य पाया गया।

अतः श्री नन्द किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद सह प्रभारी पदाधिकारी, एचपीसीएल लौरिया आसवनगृह सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध गठित आरोप से मुक्त किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।




(कुमार अमित)

विशेष अधीक्षक उत्पाद,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 8 अरा० उ० आरोप-11/2018 799 पटना, दिनांक:- 05.03.19

प्रतिलिपि:- अधीक्षक उत्पाद, प० चम्पारण/मुजफ्फरपुर/ श्री नन्द किशोर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद सह प्रभारी पदाधिकारी, एचपीसीएल लौरिया आसवनगृह सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष अधीक्षक उत्पाद,  
बिहार, पटना।